न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 2/2022 (अपील)

उनवान

1. गीताबाई पुत्री कालूलाल पत्नी राधेश्याम जी जाति गुजर निवासी तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा
2. गायत्री पुत्री कालूलाल,पत्नी पृथ्वीराज जी जाति गूजर निवासी हनुमान बस्ती दादाबाडी कोटा जिला कोटा
3. नन्दकंवर पुत्री कालूलाल पत्नी देवकरण जी जाति गूजर निवासी माता जी का बम्बूलिया तहसील अन्ता जिला बारा
4. कमलेश पुत्री कालूलाल पत्नी नरोत्तम जी जाति गूजर निवासी गोकुल कोलोनी बोरखेडा कोटा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. प्रेमनारायण आत्मज कालूलाल जाति गूर्जर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
2. ओमप्रकाश आत्मज कालूलाल जाति गूर्जर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
3. . राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री बलराम शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 1व 2)

अपील बनाराजी आदेश नायब तहसीलदार सुल्तानपुर दिनांक 30.08.2021 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक : 05.06.2024

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर तहसील दीगोद के आदेश दिनांक 30.08.2021 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश दिनांक 30.08.2021 जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

.3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है अपीलाण्ट के पिता कालूलाल आत्मज जगन्नाथ गूजर निवासी सुल्तानपुर व अन्य सहखातेदार के शामलाती खाते में ग्राम सुल्तानपुर में ख0न0 252,253,254 कुल तीन किता की 2.49 है0 भूमि स्थित चली आ रही थी। जिसमें कालूलाल का 1/4 हिस्सा निहित है जो उनको उनके पिता यानी अपीलाण्ट के

अति० जिला कलेक्टर
कोटा

दादा जगन्नाथ जी की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई है। तथा उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। जो भी पुश्तैनी भूमि है। रेस्पो0 न0 1 व 2 अपीलाण्टान के भ्राता है तथा कालूलाल के पुत्र है तथा अपीलाण्टान कालूलाल जी की पुत्रिया है। जिनका जन्म से उपरोक्त पुश्तैनी भूमियों में बराबर का हक व अधिकार चला आ रहा है। कालूलाल जी की मृत्यु हो चुकी है। अपीलाण्ट के पिता कालूलाल जी काफी वृद्ध व्यक्ति थे तथा कम सुनते थे दिनांक 3.7.2017 को उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रेस्पो0 न0 1 व 2 जो कालूलाल के पुत्र है ने कालूलाल जी को धोख मे रख कर तथा यह जानते हुये कि उक्त भूमिया पुश्तैनी भूमि है के बावजूद भी उसकी वसीयत रेस्पो0 न0 1 व 2 ने अपने नाम आलेखित कर दिनांक 3.07.2017 को रेस्पो0न0 4 उप पंजीयक सुल्तानपुर के यहा पंजीयन करवा ली । रेस्पो0 न0 1 व 2 ने उक्त अवैध वसीयत दिनांक 3.07.2017 के आधार पर उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर मृतक कालूलाल जी की पुत्रियां को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही मृतक कालूलाल के स्थान पर रेस्पो0न0 1 व 1 का नाम दर्ज करने का दिनांक 30.08.2021 को पारित कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 2401 दिनांक 16.09.2021 को तस्दीक कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जांच किये बिना तथा वसीयत को प्रमाणित करवाये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने का निर्णय दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वसीयत केवल मात्र स्वअर्जित आय की होती है। वसीयत पत्र के प्रथम पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से वसीयत कर्ता ने अंकित किया है कि मेरी शामलाती खाते की भूमि स्थित है। इससे यह स्पष्ट है कि उनको यह भूमि उनके पिता से पुश्तैनी भूमि के रूप में प्राप्त हुई है। तथा पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। रेस्पो0 न0 1 व 2 द्वारा मृतक कालूलाल जी की पुत्रियों का हवाला अपने आवेदन में नहीं दिया और न उनको रिकार्ड पर लिया गया और न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनको किसी प्रकार की सूचना दी गयी। केवल एक गवाह विजय कुमार शर्मा का शपथपत्र पेश किया गया है। गवाह ने यह स्पष्ट नहीं कहा है कि वसीयतकर्ता ने अपनी स्वंय की इच्छा से मेरे समक्ष उक्त वसीयत को सुन व समझ कर स्वीकार किया। कालूलाल जी का देहावसान दिनांक 13.05.2021 को हो गया जब अपीलान्टान ने फोती इंतकाल खोलने हेतु कहा तो रेस्पो0 न0 1 व2 ने उक्त भूमियों की वसीयत उनके नाम होने व भूमि उनके नाम दर्ज होने बाबत कह कर अपीलान्टान को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। अपीलाण्टान मृतक कालूलाल जी की जीवित पुत्रियां व विधिक उत्तराधिकारी है और उनका भी उक्त वसीयत की गयी भूमि में बराबर का हक व हिस्सा है। अत अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.08.2021 निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 2401 दिनांक 16.09.2021 निरस्त फरमाया जावे। तथा मृतक कालूलाल जी का फोती नामान्तरकरण अपीलाण्टान व रेस्पो0 न01 व 2 के पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है मूल खातेदार कालूलाल है। पटवारी रिपोर्ट में दर्ज सभी वारिसान/गवाहो को जर्ये नोटिस सुनवाई हेतु भेजे गये, जिसमें वारिसान बयान हेतु उपस्थित नहीं हुए। तथा गवाह बयान हेतु उपस्थित हुए जो टिप्पणी सभी नोटिसों पर अंकित है। गवाहो के बयानो में इस वसीयत के सत्य होने की पुष्टि है। वसीयत की सुनवाई के संबध में अधिनस्थ न्यायालय ने आम सूचना जारी कर आपत्तिया आंमत्रित की गई। आम सूचना संबधित ग्राम पंचायत सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद में धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा का दावा कर रखा है। जो विचाराधीन है। इसी प्रकार अपीलाण्ट ने विवादित वसीयत जिसके आधार पर विवादित नामांतरकरण तस्दीक किया गया है को चेलेनस करते हुये एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश दीगोद में दिनांक 10.01.2022 से पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। सिविल कोर्ट में वसीयत का वाद लम्बित है तो इस कोर्ट द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता। दोनो कोर्ट में एक ही प्रकरण के दावे नहीं चल सकते । सिविल कोर्ट ने दावे मे कोई स्टे नहीं दिया गया। अतः रजिस्टर्ड वसीयत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक

अति. जिला कलक्टर
कोटा

दृष्टान्त आर0आर0टी 2019 (1) पेज 895, आर0आर0टी 2009 (2) पेज 1280, आर0आर0टी 2009 (4) पेज 988 प्रस्तुत किऐ गये जिनका भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 30.8.2021 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 29.12.2021 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी अपीलाण्टान नें फोती इंतकाल खोलने हेतु कहा जो रेस्पो01 व 2 ने उक्त भूमियो की वसीयत उनके नाम होने व भूमि उनके नाम दर्ज होने बाबत कह कर धमकी देने के बाद जानकारी मे होनां बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

7 वकील अपीलाण्ट का बहस मे कथन रहा है कि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है के बावजूद भी उसकी वसीयत रेस्पो0 न0 1 व 2 ने अपने नाम आलेखित कर दिनांक 3.07.2017 को रेस्पो0न0 4 उप पंजीयक सुल्तानपुर के यहा पंजीयन करवा ली । रेस्पो0 न0 1 व 2 ने उक्त अवैध वसीयत दिनांक 3.07.2017 के आधार पर उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर मृतक कालूलाल जी की पुत्रियां को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही मृतक कालूलाल के स्थान पर रेस्पो0न0 1 व 1 का नाम दर्ज करने का दिनांक 30.08. 2021 को पारित कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0 2401 दिनांक 16.09.2021 को तस्दीक कर दिया। अधिनसथ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जांच किये बिना तथा वसीयत को प्रमाणित करवाये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक करने का निर्णय दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि वसीयत केवल मात्र स्वअर्जित आय की होती है। वसीयत पत्र के प्रथम पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से वसीयत कर्ता ने अंकित किया है कि मेरी शामलाती खाते की भूमि स्थित है। इससे यह स्पष्ट है कि उनको यह भूमि उनके पिता से पुश्तैनी भूमि के रूप में प्राप्त हुई है। तथा पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है अपीलाण्टान मृतक कालूलाल जी की जीवित पुत्रियां व विधिक उत्तराधिकारी है और उनका भी उक्त वसीयत की गयी भूमि में बराबर का हक व हिस्सा है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद में धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा का दावा कर रखा है। जो विचाराधीन है। इसी प्रकार अपीलाण्ट ने विवादित वसीयत जिसके आधार पर विवादित नामांतरकरण तस्दीक किया गया है को चेलेंज करते हुये एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश दीगोद में दिनांक 10.01.2022 से पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। अतः रजिस्टर्ड वसीयत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। विचाराधीन अपील में अपीलाण्ट और रेस्पोडेन्ड द्वारा अपने– अपने पक्ष में दस्तावेज पेश किये वसीयत को आधार बनाया है,किन्तु वसीयत सक्षम सिविल न्यायालय में वैद्यता निर्धारण के लिए विचाराधीन है। अतः जब तक वसीयत की वैद्यता के संबध में सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

5/6/2024

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा